

NAD

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बाजदायरी जायज
कीवत
15/7/2019

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनाम सुगली पुली लोरा जायज जायज
जायज नि. बनेवडी लहुनामीराबाड नि. ग्रा. बनेवडी लहुनामीराबाड
 किस्म मुकदमा बाजदायरी जायज नम्बर 239/2019 सन् 20 19

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की त जारी हुए
पेशी <u>15.7.19</u>	<p>श्री <u>मोहम्मद इकबाल</u> श्री</p> <p>यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी श्री मोहम्मद इकबाल एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.04.2019 को अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के विरुद्ध पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थना पत्र बाजदायरी मियाद बाहर पेश किया गया, जिसमें समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया, जिस पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>तत्पश्चात प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं किन्तु अभिभाषक प्रार्थी, अपील में रेस्पोंडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड्री आवश्यक रूप से पेश करेंगे।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	